

STATE Uttar Pradesh



DATED: 27.01.2012

Note: As per NCVT decision all the instructors must be trained within three years. The State Director/Commissioner/PF management are requested to sponsor 30% instructors every year for Training in Trainer Program (in any C.I. module) of DGET field Institute.

SCIR (Standing Committee Inspection Report); DIR (Departmental Inspection Report); Std. Comm (Standing Committee); NR (Not Recommended); NC (Not Considered); SIR (Supplementary Inspection Report); PS (Power Supply); T&E (Tools & Equipment)

Name, Address & File No. of Institute for ref. & Future correspondence draft	Trade	Units for which affiliation sought / recommended by			Approval by Sub-Committee of NCVT	Remarks
		Instt.	Std. Comm.	DGET		
Kajrajeshwari Private ITI Meerut Road, Mawana Dist. Meerut Uttar Pradesh	Draughtsman Civil	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-28/5/2010 SIR-15/7/2010 w.e.f. Feb 2012
DGET-6/24/90/2008-TC						
26 Shri Murlidhar Private ITI Jejam Patti, Vill. Rasulpur, P.O. Magorra, Dist. Mathura Uttar Pradesh	Fitter Electrician	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	2(1+1) 2(1+1)	SCIR-30/7/2011 SIR-20/9/2011 w.e.f. Feb 2012
DGET-6/24/235/2011-TC						
17 Shiba Private ITI, Govindpur Dist. Mathura Uttar Pradesh	Electrician	Addl. 4 Units	-	Addl. 4 units Total 12(4+4+4)	Addl. 4 units Total 12(4+4+4)	DIR-29/5/2011 w.e.f. Feb 2012
DGET-6/24/83/2008-TC						
28 Central Private ITI, Baghol, Jangipur Dist. Ghazipur Uttar Pradesh	Fitter Electrician	Addl. One Unit	-	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	Addl. One Unit Total 3(1+1+1)	DIR-9/11/2011 w.e.f. Feb 2012
DGET-6/24/39/2009-TC						
29 Shri Krishna Private ITI, Dhauraha, Jaygopalganj Kerakat, Dist. Jaunpur Uttar Pradesh	Fitter	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	2(1+1)	SCIR-26/5/2011 SIR-18/5/2011 w.e.f. Feb 2012
DGET-6/24/128/2011-TC						

राज सजेरदरी ओ प्रशिक्षण संस्थान
लखनऊ (महल)

प्रपत्र

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, सरखनऊ।

सेवा में

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
राजेश्वरी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
मेरठ रोड, भवना
मेरठ।

प्रपत्रक:

413 / टी-3 / रा090 / भा0सं0संस्तुति

संखनऊ : दिनांक :

31-1-2012

विषय-

स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक संस्थानों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय राजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिखे गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28-5-2012 पर दिनांक 27-1-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अन्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डीजी0ई0टी0 द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Draughtsman 02(1+1) Civil	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-28/5/12 SIR-15/07/12 W.e.f. Feb 2012

DGET-6/24/90/2008-TC DATED 27/01/2012


प्रयोग-किये-गये-संकेत:-


- (1) एन0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एन0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू0सी0-विचाराधीन
- (5) एन0आर0-संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन0सी0-विचार नहीं किया गया।

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतलाई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आख्या विन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अपिलम्प प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के दार्जित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय


राजेश्वरी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
(मेरठ)


अपर निदेशक (प्रशिक्षण/सिखु)

प्रपत्रक : / टी-3 / रा090 / भा0सं0संस्तुति / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/सिखु)मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करावें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत प्रतिलिपि है।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner